


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 1971/अग्रहायण 13, 1893

No. 220] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1971/AGRAHAYANA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बीजाती है जिससे कि यह अलग-अलग के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December 1971

G.S.R.1848.—In pursuance of clause (a) of section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby declares that a foreign country, namely, Pakistan, is committing external aggression against India.

[No. VI/401/34/71.]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 1848.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के खण्ड (क) धारा 19 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि एक अन्य देश, यथा, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण कर रहा है।

[संख्या बी-एक 401/34/71]

G.S.R. 1849.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Passport (Fourth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1967,—

(1) after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:—

“15. **Authority and form for special endorsement under section 19.**—(1) The authority, for the purposes of section 19, shall be the passport authority.

(2) Every special endorsement referred to in section 19 shall be in the following form, namely:—

FORM

This passport is hereby made valid under section 19 of the Passports Act, 1967, for travel through or visiting Pakistan for a maximum period of..... days/months, from the date of this endorsement”.

No. VI/401/53/71.

P. N. MENON, Secy.

जी० एस० आर० 1849.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) ये नियम “पासपोर्ट (चौथा संशोधन) नियम, 1971” कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 में,—

(1) नियम 14 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाएगा, यथा:—

“15. धारा 19 के अन्तर्गत विशेष पृष्ठांकन के लिये प्रपत्र और प्राधिकरण।

(1) पासपोर्ट प्राधिकरण की धारा 19 के उद्देश्यों के लिये प्राधिकरण होगा।

(2) धारा 19 में उल्लिखित प्रत्येक विशेष पृष्ठांकन निम्नलिखित रूप में होगा, यथा:—

प्रपत्र

यह पासपोर्ट, इसके द्वारा, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 19 के अन्तर्गत इस पृष्ठांकन की तारीख से—-—-दिन/महीने की अधिकतम अवधि के लिये पाकिस्तान छोड़कर जाने या पाकिस्तान की यात्रा करने के लिये वैध बनाया जाता है।”

[संख्या छह/401/53/71]

पी० एन० मेनन, सचिव।